17

19(0)/4 स्वीकृति/आयोजनागत

संख्या- /XVII-3/14-07(26MSDP)/201

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग-3 देहरादून : दिनांक 29 दिसम्बर, 2014

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर (बन्दरजूड़) मे महिला आई0टी0आई0 के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्रांक-1142 नि.स.क./एम.एस.डी.पी./डी.पी.आर./14-15 दिनांक 12.11.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर (बन्दरजूड़) में महिला आई.टी.आई. के भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, हरिद्वार द्वारा गठित आगणन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के शासनादेश संख्या-3/20(4)/2013-पी0पी0-1, दिनांक 29.09.2014 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 29.09.2014 के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 की तालिका-1 पर महिला आई.टी.आई. के भवन निर्माण हेतु कुल ₹ 438.95 लाख अनुमोदित करते हुए प्रथम किश्त के रूप मे ₹ 219.48 लाख की धनराशि अवमुक्त की है।

इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार के भगवानपुर (बन्दरजूड) में महिला आई.टी.आई. के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था "**उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0**, द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर टी0ए0सी0 द्वारा आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत ₹ 440.22 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹ 316.66 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 123.56 लाख) के क्रम में, भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत कार्य की अनुमोदित लागत को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में **₹ 122.29 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार + सिविल कार्य हेतु ₹ 316.66 लाख अर्थात कुल धनराशि ₹ 438.95 लाख (₹ चार करोड अडतीस लाख पिचानवे हजार मात्र)** की औचित्यपूर्ण धनराशि पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किस्त **₹ 219.48 लाख (₹ दो करोड उन्नीस लाख अडतालिस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. उक्त कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाये। तदनुसार निर्धारित समयावधि मे कार्य पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तान्तरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र, दिनांक 19.09.2014 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों एवं एम.एस.डी.पी. गाइड लाइन्स तथा एन0सी0वी0टी0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उ0प्र0रा0नि0 निगम द्वारा एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय के अन्तर्गत भवन कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाये।

2. उ0प्र0राज्यनि0 निगम द्वारा एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय के अन्तर्गत भवन कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाये।

3. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्जेज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। कार्य हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के पूर्ण संतोषजनक व्यय विषयक आख्या प्राप्त होने पर ही वर्तमान में स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी।

5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। आंगणन में प्राविधानित व्यय करने से पूर्व उक्त हेतु उत्तराखण्ड आदिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निहित उपबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अव्ययित अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। **यदि अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो तकनीकी शिक्षा विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षकों/मदों से इसकी पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।**

6. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दर शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से की गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

7. एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. यदि स्वीकृति राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।

11. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी0पी0 डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

12. स्वीकृत उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व प्रश्नगत योजना हेतु भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करनी आवश्यक होगी। किसी भी दशा में भूमि उपलब्ध होने से पूर्व उक्त स्वीकृत धनराशि जारी न की जाय।

13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐ–01–अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना के मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–268/(P)/XXVII(3)/2014-15, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति तथा अलोटमेंट आई.डी. संख्या–S1412150286, दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– 1141 / **XVII-3/14-07(26-MSDP)/2014 : तद्‌दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 रा0 नि0 नि0 लि0, ई0 34 नेहरू कालोनी देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार। देहरादून
7. नोडल अधिकारी,/उपसचिव (एम0एस0डी0पी0) उत्तराखण्ड शासन।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
9. एन.आई0सी. सचिवालय परिसर।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।